



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या – 9/2026

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

जमुना प्रसाद तिवारी

... उत्तरदाता (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मुख्य स्थायी अधिवक्ता

उत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता :- सुनील कुमार सिंह कलहंस

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 01/2026 पर आदेश)

1. राज्य-अपीलकर्ताओं के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह कलहंस को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 602/2021 (जमुना प्रसाद तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 22.02.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है। यह अपील दिनांक 19.12.2025 को दायर की गई है। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार, दिनांक 19.12.2025 तक इसमें 1001 दिनों का विलंब हो चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय IX नियम 10 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 117 के अनुसार, ऐसी अपील

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दाखिल करने की परिसीमा 30 दिन है। अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए शपथपत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन भी दाखिल किया गया है।

3. हमने विलंब क्षमा के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र का अध्ययन किया है। इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 2 मार्च 2023 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर निर्णय की सूचना प्राप्त हुई। हालांकि, शपथपत्र में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि लखनऊ स्थित इस न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय ने अपीलकर्ताओं को निर्णय संसूचित किया था या नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय में विभिन्न पीठों सहित राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं का एक बड़ा दल है एवं आक्षेपित आदेश खुले न्यायालय में पारित किया गया प्रतीत होता है, यह सुरक्षित आदेश नहीं है। फिर भी, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के आधार पर निर्णय की जानकारी प्राप्त होने की तिथि से दो माह से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं 6 मई 2023 को राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को अपील दायर करने के लिए विधिक परामर्श प्राप्त करने के लिये एक पत्र भेजा गया। इसके बाद, शपथपत्र में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 31.05.2023 को दायर किए गए अवमानना वाद संख्या 1782/2023 का उल्लेख है, जिसे दिनांक 18.03.2024 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस अवमानना कार्यवाही को दायर करने के उपरान्त भी अपीलकर्ता नींद से नहीं जागे। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर दिनांक 07.03.2025 के आदेश द्वारा अवमानना कार्यवाही पुनर्स्थापित कर दी गई। अवमानना न्यायाधीश द्वारा उक्त अवमानना कार्यवाही में अनुपालन का शपथपत्र दिनांक 26.11.2025 को दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

4. इस बीच की अवधि में हुए विलंब के संबंध में, मात्र यही कहा गया है कि विवादित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका के अभिलेखों की प्रति नहीं मिल सकी एवं राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 12.12.2023 के पत्र द्वारा इस मामले में अपनी विधिक राय पहले ही प्रेषित कर दी थी एवं इसके अनुसरण में दिनांक 05.12.2025 को प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को एक पत्र प्रेषित किया गया था। इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि 6 मई 2023 के पत्र द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय मांगने के बाद अपीलकर्ताओं द्वारा उनसे संपर्क करने के लिए क्या प्रयास किए गए, यदि वह समय पर प्राप्त नहीं हुई या यदि वह प्राप्त हुई थी लेकिन गुम हो गई थी,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जैसा कि अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला ने तर्क दिया था। शपथपत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2025 को अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद मुख्य स्थायी अधिवक्ता से संपर्क किया गया एवं फिर अपील तैयार कर दायर की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, 1000 दिनों से अधिक के अत्यधिक विलंब के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है।

5. हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय, *शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य (2025 एससीसी ऑनलाइन 1969)*, दिनांक 12.09.2025 को निर्णीत) के आधार पर प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण का परीक्षण किया है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा शपथपत्र के प्रस्तर 11 में उल्लिखित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार किया गया है एवं हमें इस अपील को दायर करने में हुए अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त) मामले में यह धारित किया है कि "पर्याप्त कारण" शब्द लापरवाहीपूर्ण एवं पुराने दावों पर बल देने की समस्या का कोई रामबाण इलाज नहीं है। इस शब्द की व्याख्या न्यायोन्मुख नम्यता के साथ की जानी चाहिए ताकि निर्दोष वादियों को उन परिस्थितियों के लिए दंडित न किया जाए जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। न्यायालयों को घोर लापरवाही, आशयपूर्ण निष्क्रियता या उदासीनता को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से "मुकदमेबाजी के अंत में राज्य का हित है" के सिद्धांत का हनन होगा एवं परिसीमा विधि द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली निश्चितता अस्थिर हो जाएगी। "पर्याप्त कारण" शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परिसीमा के अनुशासन को बनाए रखते हुए तात्त्विक न्याय अग्रसर हो। न्यायालयों को सहानुभूति या तकनीकी कठोरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तथ्य का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने उपचार प्राप्त करने में उचित तत्परता बरती है। जहां स्पष्टीकरण वास्तविक, तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है, वहां न्यायालयों ने विलंब क्षमा करने का रुख अपनाया है। जहां लापरवाही, सद्भावना की कमी या लापरवाही का दृष्टिकोण स्पष्ट है, वहां विलंब क्षमा से इनकार कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने उचित तत्परता नहीं दिखाई है एवं न ही उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है। उपरोक्त कारणों से उनकी ओर से लापरवाही, सद्भावना का आभाव एवं लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण प्रकट होता है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मामले के गुणदोष के आधार सशक्त वाद होना विलंब क्षमा का आधार नहीं है। जब विलंब क्षमा के लिए आवेदन न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो जांच मात्र इस बात तक सीमित होती है कि क्या अपील या कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दाखिल न करने का "पर्याप्त कारण" दर्शित किया गया है। अन्तर्निहित वाद के गुणदोष का इस जांच से कोई भी संबंध नहीं है। यदि न्यायालय इस स्तर पर मामले की योग्यता पर विचार करेंगे, तो इससे प्रारंभिक प्रक्रियात्मक प्रश्नों एवं वास्तविक निर्णय के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, जिससे न्यायिक जांच के दो भिन्न चरण परस्पर मिश्रित हो जाएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं है कि दावा विधिक या तथ्यात्मक रूप से सशक्त है या नहीं, बल्कि मात्र यह निर्धारित करना है कि क्या आवेदक के पास विलंब का उचित कारण था। "पर्याप्त कारण" की कसौटी को मामले के गुणदोष की जांच से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। विलंब क्षमा, विलंब के स्पष्टीकरण पर आधारित विवेकाधिकार का मामला है, न कि मामले में सफलता की संभावनाओं पर। यदि वाद की विशेषताओं पर विचार किया जाए, तो सशक्त वाद के वादी को लापरवाही के बावजूद क्षमा प्रदान की जा सकती है, जबकि दुर्बल मामले को पर्याप्त कारण बताए जाने के बाद भी खारिज किया जा सकता है। इससे विधि का असमान एवं असंगत अनुप्रयोग होगा, जिससे परिसीमा के सिद्धांत द्वारा स्थापित एकसमान मानक का हनन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब क्षमा के चरण में गुण-दोष पर विचार न करने का एक एवं व्यावहारिक कारण बताया है, वह यह है कि इससे मामले की प्रारंभिक सुनवाई से पूर्व ही न्यायालय का किसी एक पक्ष के विरुद्ध पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की आशंका रहती है। गुण-दोष पर समय से पूर्ण विचार करने से न्यायालय अनजाने में ऐसा मत बना सकता है जो बाद में निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इस स्तर पर न्यायिक अनुशासन की यह अपेक्षा है कि मात्र विलंब के कारण की ही जांच की जाए, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए, हम इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकते।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी विचार किया कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राज्य की सुस्ती एवं निष्क्रियता के लिए कोई रियायत दी जा सकती है। इस विषय पर विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, अंततः न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि '**पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड' (2012) 3 एससीसी 563** निर्णय से पूर्व, विलंब क्षमा के मामलों में राज्य एवं उसके संस्थानों के प्रति न्यायिक सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जाता था, क्योंकि उनके कामकाज की प्रकृति विशिष्ट थी। साथ ही, इसके विपरीत मत भी उपलब्ध थे, जैसे '**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एडमिनिस्ट्रेटर, हावड़ा नगर पालिका' (1972) 1 एससीसी 366** एवं '**लंका वेंकटेश्वरलू (जी) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य' (2011) 4 एससीसी 363** वादों में यह माना गया कि चाहे वादी सरकारी संस्था हो या निजी व्यक्ति, परिसीमा के प्रावधान समान रूप से लागू

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होंगे एवं न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायत भी समान रहेगी। **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** के निर्णय के बाद वर्तमान विधि स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। विलंब की क्षमा अपवाद रहेगी, नियम नहीं। सरकारी वादियों को भी, निजी पक्षों की भांति, विलंब के लिए वास्तविक, पर्याप्त एवं ठोस कारण दर्शित करना होगा। ऐसे औचित्य के अभाव में, मात्र आवेदक की पहचान के आधार पर विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि '**राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम बाल किशन माथुर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि' (2014) 1 एससीसी 592** एवं **शिव राज सिंह बनाम भारत संघ' (2023) 10 एससीसी 531** के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त) का निष्कर्ष मूलतः द्विस्तरीय है। पहला, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा से संबंधित मामलों में राज्य या उसके किसी भी निकाय से तरजीही व्यवहार नहीं किया जा सकता। राज्य का मूल्यांकन किसी भी निजी वादी के समान, उन्हीं मानकों पर किया जाना चाहिए। अन्यथा, परिसीमा की शुचिता से समझौता होगा। दूसरे, सरकारी विभागों द्वारा विलंब क्षमा मांगने के आधार के रूप में नौकरशाही की लालफीताशाही, प्रक्रियात्मक अड़चनों या प्रशासनिक अक्षमताओं पर बार-बार निर्भर रहना, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए सदैव "पर्याप्त कारण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे कारणों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तो परिसीमा विधि द्वारा लागू किया जाने वाला अनुशासन ही अशक्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों में अंतहीन अनिश्चितता उत्पन्न होगी। हमने उक्त निर्णय के अन्य भागों, जिनमें प्रस्तर 214 एवं अनुवर्ती भाग सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया है।

8. **शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, अपीलकर्ताओं द्वारा विलंब के स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत शपथपत्र अपर्याप्त है। 1001 दिनों के अत्यधिक विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दिया गया स्पष्टीकरण मात्र एक खोखला बहाना है।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें अपील दाखिल करने में हुए इस अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार, विलंब क्षमा का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

10. फलस्वरूप, अपील भी **खारिज** की जाती है।

6 जनवरी, 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।